"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 428] रायपुर, बुधवार, दिनांक 18 सितम्बर 2013—भाद्र 27, शक 1935

कृषि विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 सितम्बर 2013

अधिसूचना

क्रमांक/एफ-04/2010/14-2.—यत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 70 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार ने अपनी समसंख्यक अधिसूचना क्र. 2146/एफ-04/01/2010/14-2, रायपुर, दिनांक 20 जून, 2011 द्वारा वर्तमान राजस्व तहसील भाटापारा एवं सिमगा के क्षेत्रानुसार, भाटापारा मण्डी के वर्तमान क्षेत्र (जैसा कि उक्त अधिसूचना की अनुसूची-एक में उल्लिखित है) से पलारी तहसील के 24 ग्रामों को अपवर्जित करते हुए तथा बलौदाबाजार मण्डी के वर्तमान अधिसूचित क्षेत्र (जैसा कि उक्त अधिसूचना की अनुसूची-दो में उल्लिखित है) में वर्तमान अधिसूचित भाटापारा के 3 ग्रामों को शामिल करते हुए इस प्रकार भाटापारा तथा सिमगा राजस्व तहसील के सम्पूर्ण क्षेत्र (जैसा कि उक्त अधिसूचना की अनुसूची-तीन में उल्लिखित है) को समाविष्ट करते हुए भाटापारा मण्डी क्षेत्र की वर्तमान सीमाओं को परिवर्तित करने के अपने आशय को प्रकट किया है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 71 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उपरोक्त उल्लिखित अधिसूचना के अनुसरण में प्राप्त आपत्ति तथा सुझाव पर विचार करने के पश्चात्, एतद्द्वारा, वर्तमान राजस्व तहसील भाटापारा एवं सिमगा के

क्षेत्रानुसार, भाटापारा मण्डी के वर्तमान मण्डी क्षेत्र में से पलारी तहसील के निम्नलिखित 24 ग्रामों, अर्थात् :—

1. फुण्डरडीह	2. बोरइडीह	3. पथरचुवा	4. रेंगाडीह	5. मुसुवाडीह
6. सेमराडीह	7. भालूकोना	8. जारा	9. साराडीह	10. छेरकाडीह
11. खपरी	12. सरकीपार	13. परसवानी	14. गाड़ाभाड़ा	15. अमलीडीह
16. औरासी	17. छिराही	18. गितकेरा	19. परसाडीह	20. सरसेनी
21. चुचरूंगपुर	22. गुमा	23. सैंहा	24. बिल्हा	

को अपवर्जित करते हुए तथा बलौदाबाजार मण्डी के वर्तमान अधिसूचित मण्डी क्षेत्र में भाटापारा तहसील के निम्नलिखित 3 ग्रामों, अर्थात् :—

1. मल्दी	2. मोपर	3. देवरानी

को सम्मेलित करते हुए, इस प्रकार इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची के अनुसार वर्तमान राजस्व तहसील भाटापारा तथा सिमगा के सम्पूर्ण क्षेत्र, मय वन ग्रामों (यदि कोई हो) को समाविष्ट करते हुए, भाटापारा मण्डी क्षेत्र की विद्यमान सीमाओं में परिवर्तन करती है, जो इस अधिसूचना के प्रकाशन ही तारीख से प्रभावशील होगा.

अनुसूची

कृषि उपज मण्डी समिति भाटापारा का मण्डी क्षेत्र निम्नानुसार होगा, अर्थात् :—

भाटापारा तथा सिमगा तहसील के सम्पूर्ण क्षेत्र मय वन ग्राम (यदि कोई हो)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 18 सितम्बर 2013

क्रमांक/एफ-04/2010/14-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-04/2010/14-2 दिनांक 18-09-2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, उप-सचिव.

Raipur, the 18th September 2013

NOTIFICATION

No./F-04/01/2010/14-2.—Whereas in exercise of the powers conferred by Section 70 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government, vide its Notification No. 2146/F-04/01/2010/14-2, Raipur, dated 20th June, 2011 signified its intention to alter the existing limits of the market area of Bhatapara, at par with the area of existing revenue Tehsil of Bhatapara and Simga, by excluding 24 villages of Palari Tehsil from the present market area of Bhatapara mandi (as mentioned in Schedule-one of the said notification) and by including 3 villages of Bhatapara Tehsil presently notified in the market area of Balodabazar mandi (as mentioned in Schedule-two of the said notification), thus comprising complete area of existing revenue tehsil Bhatapara and Simga (as mentioned in Schedule-three of the said notification).

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 71 of the said Act, the State Government, after considering objections and suggestions received by it pursuant to above mentioned notification, hereby, alters the existing limits of the market area of Bhatapara, at par with the area of existing revenue Tehsil of Bhatapara and Simga, by excluding following 24 villages of Palari Tehsil from the present market area of Bhatapara mandi, namely :

1. Fundardih	2. Boraidih	3. Patharchua	4. Rengadih
5. Musuvadih	6. Semaradih	7. Bhalukona	8. Jara
9. Saradih	10. Chherkadih	11. Khapri	12. Sarkipar
13. Parasvani	14. Gadabhada	15. Amlidih	16. Aorasi
17. Chhirahi	18. Gitkera	19. Parsadih	20. Sarseni
21. Chucharungpur	22. Guma	23. Sainha	24. Belha

and by including following 3 villages of Bhatapara Tehsil presently notified in the market area of Balodabazar mandi, namely :—

1. Maldi   2. Mopar   3. Devrani

thus comprising complete area of existing revenue tehsil Bhatapara and Simga inclusive of forest (if any) as per the Schedule ennexed to this notification with effect from the date of publication of this notification.

SCHEDULE

Market Area of Krishi Upaj Mandi Samiti Bhatapara shall be as follows, namely :—

Complete area of Bhatapara and Simga Tehsil inclusive of forest villages (if any).

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
PRADEEP KUMAR DAVE, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.